

31/5/2022

अभिलेख उपस्थापित / देनदार द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नज्दत शारबा में N.R.No-3409464, दिनांक - 27/5/2022 के द्वारा जमा किया गया है।

श्राव्य संबंधक SBI के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी मूल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार से संबंधित नीलाम पत्र बाढ़ लोक अदालत में आपली समंजस्य के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में देनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में नीलाम पत्र बाढ़ निष्पादन की प्रतीक्षा में अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित

31/5/22  
नीलाम पत्र पदाधिकारी  
चाकुलिया ।